न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशवराय पाटन जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– दुर्गाशंकर मीना (RAS)

वाद पत्र संख्या :– 114/2019

1. मिथलेश कुमार आयु 23 साल आ0 श्री हीरालाल जाति मीणा निवासी टाकरवाडा की झौपडिया हाल निवासी वार्ड नं. 06 काप्रेन तह0 के0 पाटन जिला बून्दी राज0

–वादी

बनाम

1. हीरालाल आयु 60 साल आ0 श्री जगन्नाथ जाति मीणा निवासी टाकरवाडा की झौपडिया हाल निवासी वार्ड नं. 06 काप्रेन तह0 के0 पाटन जिला बून्दी राज0
2. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार के0 पाटन जिला बून्दी राज0

– प्रतिवादीगण

वाद :–अधिकार घोषणा व बंटवारा भूमि

अन्तर्गत धारा 88,89,53 आर0टी0एक्ट

उपस्थित :–

1. वादी की और से श्री सुरेन्द्र कुमार मालव, एडवोकेट
2. प्रति0 की और से श्री चन्द्रप्रकाश नागर, एडवोकेट।

–: निर्णय :– दिनांक –03.09.2019

1. वादी के द्वारा दिनांक 19.07.2019 को यह वाद अधिकार घोषणा एवं बंटवारा का पेश किया गया।
2. वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 ग्राम खेडली व्यासान के खाता सं. 113 नया की खसरा संख्या 442 रकबा 0.36 है0, ख.सं. 447 रकबा 3.69 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 4.05 है0 है। जो अकेले प्रतिवादी सं. 1 के खातेदारी में दर्ज है। प्रतिवादी सं. 1 व वादी

उपखण्ड अधिकारी
के. पाटन (बून्दी)

Scanned by CamScanner

पिता–पुत्र है। वर्णित कृषि भूमि पैतृक भूमि है। वादी व प्रतिवादी सं.1 का उक्त भूमि में बराबर–बराबर हिस्सा है। उक्त वर्णित कृषि भूमि का पारिवारिक बंटवारा कर रखा है जिसके मुताबिक ही वादी व प्रतिवादी सं. 1 अलग–अलग कब्जा काश्त है। वादी को उक्त भूमि पर जन्म से ही अधिकार प्राप्त है। प्रतिवादी सं. 1 विवादित आराजी को हंस्तातरण, रहन, बय करने पर आमादा है क्योंकि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं. 1 का नाम दर्ज है। अन्त में प्रार्थना की गई कि वाद वर्णित कृषि भूमि में वादी व प्रतिवादी सं. 1 को 1/2–1/2 हिस्से का सहखातेदार दर्ज किया जावें।

3. वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ने वादी के वादपत्र का इकबालिया जवाब पेश किया तथा वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 की और से दिनांक 19.08.2019 को राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं. 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

4. बहस उभयपक्ष सुनी गई। उभयपक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 19.08.2019 को बाद जॉच तस्दीक किया गया। राजीनामा तथा इकबालिया जवाब के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

—::निर्णय::—

परिणामस्वरूप वादी का वादपत्र राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है। खाता सं. 113 नया की खसरा संख्या 442 रकबा 0.36 है0, ख.सं. 447 रकबा 3.69 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 4.05 है0 वाके ग्राम खेडली व्यासान तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0 में वादी व प्रतिवादी सं. 1 को 1/2–1/2 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाता है। रहन बदस्तुर रहेगा। तहसीलदार के0 पाटन को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। उक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03.09.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी के0 पाटन

3/9/19

(दुर्गाशंकर मीना)
उपखण्ड अधिकारी
केशवरायपाटन

Scanned by CamScanner

<u>डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई</u>

(आर्डर 20, रूल 6—7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Prodeedure Code Appendix ‘d’-1)

अज अदालत
उपखण्ड अधिकारी मुकाम के0पाटन

इजलास — दुर्गाशंकर मीना
आर.ए.एस.

मिथलेश **V/S** हीरालाल वगै0

<u>वाद— अधिकार घोषणा व बंटवारा भूमि</u>

<u>मुकदमा नम्बर :: 114/2019</u>

वादी की ओर से श्री सुरेन्द्र कुमार मालव, अधिवक्ता व प्रतिवादी सं. 1 की ओर से श्री चन्द्रप्रकाश नागर, अधिवक्ता की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 03.09.2019 को हुक्म दिया जाता है व वाद निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि—

“वादी का वादपत्र राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है। खाता सं. 113 नया की खसरा संख्या 442 रकबा 0.36 है0, ख.सं. 447 रकबा 3.69 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 4.05 है0 वाके ग्राम खेडली व्यासान तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0 में वादी व प्रतिवादी सं. 1 को 1/2—1/2 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाता है। रहन बदस्तुर रहेगा। तहसीलदार के0 पाटन को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।”

नीज ....ग.................. मुबलिक ....ग.................. बाबत ....ग.............. खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व षरह ....ग.................. फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलवादी तक ....ग.................. को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज दिनांक 03.09.2019 को जारी की गई।

मोहर

(दुर्गाशंकर मीना)
उपखण्ड अधिकारी
केशवरायपाटन

Scanned by CamScanner